

36

वन भूमि के प्रीमियम एवं लीज रेंट की धनराशि जमा करने हेतु
वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शासन के पत्र संख्या— 1252/14-बी-503/61 दिनांक— 25.04.1964 द्वारा 3.79 हेठो वन भूमि में 0 कर्नौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ड्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षों के लीज पर दिनांक—01.04.1963 से 31.03.1988 तक हस्तान्तरित की गयी थी।

उक्त लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ0सी0/407 दिनांक- 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तों के अधीन तथा अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2 के आदेश संख्या- जी0आई0 159/14-2-95-503/1961 लखनऊ दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तों के अधीन 25 वर्षों हेतु दिनांक-01.04.1988 से 31.03.2013 तक के लिए लीज का नवीनीकरण में कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिंग रेनकूट के पक्ष में किया गया ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणकट वन प्रभाग, रेणकट-सोनभद्र


कास्तुरा बनापिल्कामी
पिंडी रोड
रेहोल वन प्रभाग, रेहोल, सौनामढ़ी

(एस०एन०शास्त्री)
यूनिट हेड
मे० गासीम इण्डर्स्ट्रीज लि०
रेनुकूट-सोनभद्र


S. N. Sastry
Authorized Signatory